सत्यमेव जयते

संख्या– 5288 /जी0एस0(शिक्षा)/A4-129-2/2021

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 02 नवम्बर, 2026

महोदया,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 240829035816 तथा प्रस्ताव क्रमांक 251010023741 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु निम्न उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
जागरण स्कूल ऑफ लॉ, शंकरपुर–हुकुमतपुर, पो0–रामपुर, विकासनगार, देहरादून	एल0एल0बी0 (03 वर्षीय)	120	2024–25 तथा 2025–26
	बी0ए0–एल0एल0बी0 (05 वर्षीय)	120	
	बी0बी0ए0–एल0एल0बी0 (05 वर्षीय)	120	
	एल0एल0एम0 (02 वर्षीय)	30	

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नगत सरथान को अरथाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(2) नियामक संरथा, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के

File No. RB-EDUC02/321/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 702)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 02/11/2026 12:24 pm

पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 02-11-2026
12:19:40
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 5288 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/ **A4-129-2**/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 02-11-2026
12:19:41
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।